

12<sup>3/18</sup> वकील सायल उपण/पत्रावली वास्ते कहस लेव  
खिर्ना 13-3-18 को पेय हो

उप जिला कलेक्टर  
बामनवास (स० मा०)

13<sup>5/18</sup> वकील सायल उपण/कहस वकील सायल एक परीच सुनी  
जई। पत्रावली वास्ते अखिय खिर्ना 16-3-18 को पेय  
हो।

उप जिला कलेक्टर  
बामनवास (स० मा०)

16<sup>3/18</sup> वकील सायल उपण/वाडी का मूल यावा डिक्  
हो युका ह्ये अतः गर्भना पत्र अस्याई त्रिषेधज्ञा  
को आगे चलाने का कोई अर्थिय नही ह्ये  
अतः गर्भना पत्र अस्याई त्रिषेधज्ञा सायल खसै  
किवा जाता ह्ये पत्रावली फेवल शूकर होक  
बाद एकमील दफ्तर दाखिल की जावे।

उप जिला कलेक्टर  
बामनवास (स० मा०)